तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 183/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगदीश विश्नोई, पता खिलेरी कृषि फार्म बाईपास रोड़, चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.1..17. में उसके द्वारा (1) तहसीलदार बाप के क्षेत्राधिकार में जो जो भी अतिक्रमण सरकारी भूमि का क्षेत्रफल बताएं व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से जरिये पत्रांक 2029 दिनांक 06.12.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि श्री जगदीश विश्नोई को कार्यालय के पत्रांक / सूचना का अधिकार/2017/1908 दिनांक 23.10.17 को आंशिक सूचना उालब्ध कराई जाकर फोटो कॉपी व्यय राशि एवं डाक टिकट लगा लिफाफा उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु श्री जगदीश विश्नोई ने आज दिनांक तक फोटो कोपी व्यय राशि उपलब्ध नहीं करवाई। रिपोर्ट के साथ भेजा पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न पेश हुई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक सूचना भेजते हुए अन्य सूचना के लिए सूचना शुल्क राशि 840/–रूपये जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को लिखा गया, परन्तु उसने आदिनांक तक सूचना शुल्क जमा नहीं कराने पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना शुल्क राशि मांगी गई, वो जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	